

13-03-2019

Not Procs
Powerbook

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार द्वारा। उक्त
 में पक्षकारों की बहस समाप्त की गई। वकील विपक्षी
 ने बहस में बताया की उक्तमत आर्यजी गुप्त खूंखार
 की का.प्र. 1677 में से उक्त 3-00 बीघा आगे आगे
 निराली का उक्त पक्षकारों के मध्य वर्ष 2008 में इस
 न्यायालय में कपीलाधी की घोषणा पिता बगरी पाटीकर
 निवासी खूंखार। उक्त उक्त किताब था वकील
 रिजॉइन्ट उक्त इस न्यायालय के पूर्व उक्त रुमा 13/08
 निर्णय क्रमांक 20/07/2008 की उक्त उक्त की गई। वकील
 रिजॉइन्ट ने बताया कि विवेचित हती आगे का उक्त
 पक्षकारों के मध्य में पूर्व में निर्णय के उक्त के उपपक्ष
 यह उक्त रिजॉइन्ट की उक्त में उक्त हैं, निम्न
 पुनः इस उक्त में उक्त किताब जाना सीधी विरुद्ध
 है। कपीलाधी कि वकील ने रिजॉइन्ट के उक्त तथ्या
 के उक्त पर उक्त में उक्त उक्त किताब था।

इस उक्त लघु के आगे उक्त कि कपील कपीलाधी
 खास की उक्त है। निर्णय उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त
 पत्रावली का उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त
 उक्त है।

13/3/19
 जिला न्यायालय
 हुंगलपुर